

बिहार सरकार  
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  
(आपदा प्रबंधन विभाग)  
द्वितीय तल, पंत भवन पटना-800001

**!! आदेश!!**

संचिका संख्या-2/8-लेखा/विविध/प्रा0-04/2020.....प्राधि0

पटना, दिनांक:...../2020

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के कार्यालय भंडार में उपलब्ध एवं कार्यालय के अन्य स्थान/गलियारे आदि में यत्र-तत्र रखे गये निम्नलिखित बेकार एवं अनुपयोगी/अतिरेक विविध सामग्रियाँ/स्कैप/टूटे-फूटे फर्नीचर आदि का निष्पादन "जहाँ है जैसे है" की तर्ज पर करने का आदेश दिया जाता है।

1. पुराना चेयर - 07 अदद
2. पुराना टूटा हुआ दरवाजा - 03 अदद
3. पुराना ए0सी0 (इनर यूनिट) - 04 अदद
4. पुराना ए0सी0 (आउटर यूनिट) - 03 अदद
5. पुराना वाटर कूलर - 02 अदद
6. लोहे के पुराने फ्रेम एवं स्कैप - वजन के अनुसार
7. लोहे का पुराना सिंक - 02 अदद
8. लकड़ी का टूटा हुआ वार्डरोब - 01 अदद
9. पुराना बेसीन - 01 अदद
10. पुराना आर0ओ0 मशीन - 01 अदद
11. पुराना यू0पी0एस0 - 07 अदद
12. पुराना प्रिंटर - 02 अदद

2. रद्द की गई वस्तुओं का निष्प्रयोजन "बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005" के नियम 143 के तहत निविदा विज्ञप्ति के माध्यम से किया जायेगा और अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति/एजेंसी का चयन किया जायेगा।

3. इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से तीन अनुवर्ती कार्यदिवसों के कार्यावधि में रद्द वस्तुओं का अवलोकन किया जा सकता है। अवलोकनोपरांत इच्छुक एजेंसी/व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की बिक्री के एवज में दी जाने वाली राशि/दर का अंकन कर अपना कोटेशन समर्पित किया जायेगा। अधिकतम दर अंकित करने वाले को बिक्री विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेश निर्गत के दो दिनों के अन्दर चयनित व्यक्ति/एजेंसी को इन वस्तुओं को अपने स्वयं के व्यय पर कार्यालय से ले जाना होगा।

ह0/-

(श्याम बिहारी मीणा)

सचिव

ज्ञापांक:-...../प्राधि0

पटना, दिनांक:-...../2020

प्रतिलिपि:-प्राधिकरण के सूचना पट्ट पर प्रदर्शन हेतु।

ह0/-

सचिव

ज्ञापांक:-...../1987.../प्राधि0

पटना, दिनांक:-...../12:16:...../2020

प्रतिलिपि:-श्री मनोज कुमार, तकनीकी सहायक, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आदेश को प्राधिकरण के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव